

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मददेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मददेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—52 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कुन्नी पुत्र संतोषी निरो केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—254 / 20, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव कुमार पुत्र राजमणि निरो जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, 02. विकम पुत्र बाल बहादुर निरो केवराही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—424 / 20, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कोरो देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधे सोनकर पुत्र बुधराम सोनकर निरो काजी तरहर थाना कोरो देहात गोण्डा के कब्जे से 20 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—422 / 20, 02. कृपाराम पुत्र छेदी लाल निरो रसूलपुर थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—423 / 20, 03. शोभा राम पुत्र छेदीलाल निरो रसूलपुर थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—424 / 20, 04. करिया सिंह पुत्र जगदीश सिंह निरो गोदहा थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—425 / 20, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियारेग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कोरो देहात पुलिस ने अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त गोविन्दे पुत्र हरिश्चन्द्र निरो श्री किशन पुरवा थाना कोरो देहात जनपद गोण्डा को थाना कोरो देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0—416 / 20, धारा 363 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 01.10.2020 को थाना कोरो देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसला कर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कोरो देहात में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कोरो देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मंत्री उर्फ अर्जुन पुत्र जग्गीलाल निं० ताँबेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०स०-३८०/२०, धारा ३/२५ आम्स एकट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. ०१ अदद तमंचा ३१५ बोर मय ०२ अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक ०७.१०.२०२० को थाना छपिया के उ०नि० अरुण कुमार गौतम मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मनिकरपुर पुल के पास उक्त व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद तमंचा ३१५ बोर मय ०२ अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को थाना छपिया में आम्स एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अरुण कुमार गौतम।
02. का० मुनीब चौहान।
03. का० अभिषेक कुमार।